



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44469

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या - 738/2026

महेश चंद्र

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अमर नाथ तिवारी, अनमोल तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार रॉय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर नाथ तिवारी तथा राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोषों हेतु दायर की गई है:

"i. माननीय राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज द्वारा दिनांक 20.01.2026 को पारित आदेश को उत्प्रेषण की रिट द्वारा अपास्त करने तथा पुनरीक्षण संख्या 34/2007-2008 को व्यपगत घोषित करते हुए मामले को चकबंदी न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित करने का निर्देश दिया जाए।

ii. चकबंदी अधिकारी, बहेड़ी, जिला बरेली को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे पक्षकारों के मध्य चल रहे विवाद को इस ज्ञान के साथ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णीत करें कि उपरोक्त पुनरीक्षण संख्या 34/2007-2008 जो माननीय राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज के समक्ष लंबित है, व्यपगत हो चुका है।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उ.प्र.ज.अ. एवं भू.सु. अधिनियम की धारा 229-बी के अंतर्गत कार्यवाही के संदर्भ में विचारण न्यायालय के समक्ष मामले को प्रतिप्रेषित करते हुए अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निजी प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि राजस्व परिषद के समक्ष पुनरीक्षण की लंबिता के दौरान ग्राम को दिनांक 23.3.2024 को उ.प्र.च.अ. की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के माध्यम से चकबंदी कार्यवाही में लाया गया है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की ओर से राजस्व परिषद के समक्ष दायर व्यपगत आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि चकबंदी कार्यवाही के कारण प्रत्यावर्तन कार्यवाही व्यपगत नहीं होगी। उन्होंने आगे निवेदन किया कि राजस्व परिषद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाए तथा कार्यवाही व्यपगत घोषित की जाए ताकि पक्षकार विधि के अनुसार अपनी शिकायत के निवारण हेतु चकबंदी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकें।
4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।
5. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि पुनरीक्षण की लंबिता के दौरान ग्राम को चकबंदी कार्यवाही में लाया गया है, तदनुसार व्यपगत आवेदन दायर किया गया जिसे आक्षेपित आदेश के अंतर्गत इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि पुनरीक्षण प्रत्यावर्तन कार्यवाही से उत्पन्न है, अतः कार्यवाही व्यपगत नहीं होगी।
6. इस न्यायालय ने **2016(131) आर.डी. 30 ठाकुर रामजानकी जी विराजमान मंदिर एवं अन्य बनाम राजस्व परिषद, उ.प्र. एवं अन्य** में प्रतिवेदित वाद में अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यावर्तन कार्यवाही, प्रश्नगत ग्राम में चकबंदी कार्यवाही के कारण व्यपगत नहीं होगी।
7. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रश्नगत ग्राम में चकबंदी कार्यवाही के कारण व्यपगत आवेदन को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. निजी प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण 2007 से राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है, अतः उसे शीघ्रता से निर्णीत किया जाना चाहिए।
9. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका को अंततः निस्तारित करते हुए राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वे पुनरीक्षण संख्या 34/2007-2008 को मामले में निर्धारित अगली तिथि तक अथवा किसी भी दशा में इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विधि के अनुसार निर्णीत करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

19 फ़रवरी, 2026

रमीज़